



प्रेस नोट

एटीएस लखनऊ टीम ने जनपद गाजीपुर से तीन लाख भारतीय जाली मुद्रा के साथ महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया

दिनांक : 12 अक्टूबर, 2018

आज दिनांक 11-10-2018 को एटीएस की लखनऊ इकाई द्वारा गहमर रेलवे स्टेशन, जनपद गाजीपुर के बाहर से एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 3,00,000 (तीन लाख) रुपये मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई। उक्त अपराध के विषय में एटीएस उ.प्र. के पास अभिसूचना प्राप्त हुई थी जिसे विगत कई दिनों से विकसित किया जा रहा था। इसी क्रम में अनीता के पति घनश्याम गुप्ता पुत्र स्व० केदार नाथ को भी पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त प्रकरण में थाना- एटीएस लखनऊ में मु.अ.सं.-08/18 अंतर्गत धारा- 489 क,ख,ग पंजीकृत कराया गया है।

अभियुक्त का नाम पता

1. अनीता पत्नी घनश्याम गुप्ता
निवासिनी- इंजीनियर कॉलेज के पास, बांदा रोड, अतर्रा,
थाना- अतर्रा
जनपद बांदा उम्र- 45 वर्ष
2. घनश्याम गुप्ता पुत्र स्व. केदारनाथ
निवासिनी- इंजीनियर कॉलेज के पास, बांदा रोड, अतर्रा,
थाना- अतर्रा
जनपद बांदा उम्र- 45 वर्ष

अभियुक्तगणों का फोटो



पूछताछ विवरण :-

- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका पति भारतीय जाली मुद्रा का व्यापार करता है कई बार जेल भी जा चुका है।
- अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने पति के कहने पर ही रुपया लेने गई थी।
- भियुक्त ने बताया कि बरामद रुपए में मालदा पश्चिम बंगाल से लेकर आ रही हूं।
- अभियुक्त ने बताया वहां पर मैं एक लाख बीस हजार रुपए लेकर गई थी जिसके बदले में मुझे तीन लाख रुपए जाली मुद्रा मिली
- अभियुक्त ने बताया हम दोनों पति-पत्नी मिलकर इस भारतीय जाली मुद्रा का व्यापार करते है।
- इनके अन्य रिश्तेदार भी इसी अपराध में लिप्त है जो इससे पूर्व भी कई बार जेल जा चुके हैं।
- पूछताछ कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आये हैं।

बरामदगी

1. 2000 के 118 नोट	2,36,000
2. 500 के 128 नोट	64,000
योग	3,00,000

अग्रिम कार्यवाही :-

- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का पता लगाया जाएगा।
- ये इन जाली मुद्रा को कैसे प्रयोग करते थे ?

घनश्याम का अपराधिक इतिहास :-

क्रम	अपराध सं.	धारा	थाना	जनपद
1.	13/16	18/20 एनडीपीएस एक्ट	अतर्रा	बाँदा
2.	112/06	3 यूपी गुंडा एक्ट	अतर्रा	बाँदा
3.	168/06	18/20 एनडीपीएस एक्ट	अतर्रा	बाँदा
4.	5/07	18/20 एनडीपीएस एक्ट	अतर्रा	बाँदा
5.	123/13	60 आबकारी अधि.	अतर्रा	बाँदा
6.	46/13	18/20 एनडीपीएस एक्ट	बदोसा	बाँदा
7.	01/98	13 जी. एक्ट	अतर्रा	बाँदा
8.	351/08	18/20 एनडीपीएस एक्ट	अतर्रा	बाँदा
9.	43/16	489ख, 489ग भा.द.वि.	नरैनी	बाँदा
10.	1109/14	489ख, 489ग भा.द.वि.	को० नगर	बाँदा
11.	269/15	489ख भा.द.वि.	बिसंडा	बाँदा
12.	255/17	489ख, 489ग भा.द.वि.	अतर्रा	बाँदा

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

एटीएस की लखनऊ टीम के निरीक्षक, दिनेश्वर पांडे उ.नि.सुरेश गिरी, मुख्य आरक्षी शिवपाल सिंह, राज बब्बर सिंह, आरक्षी कपूर चंद पटेल, शरद मिश्रा, अभिषेक, प्रशांत वर्मा, महिला आरक्षी, प्रियंका दुबे



जोगेंद्र कुमार एसएसपी एटीएस